राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा विषय पर पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक 27 जून 2017

<u>प्रशिक्षण रिपोर्ट</u>

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर के सहयोग से दिनांक 27 जून 2017 को पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारयों का **"महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा"** पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कहा इस प्रशिक्षण के द्वारा समाज के अति संवेदनशील समूह में से एक महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना है ताकि पुलिस अधिकारी थाने पर आने वाली महिलाओं के प्रति त्वरित कार्यवाहियां कर उन्हे न्याय दिला सके। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों को इस प्रशिक्षण से इसलिए जोडा गया है कि वे पीडित बालिकाओं के लिए कानूनी प्रावधानों को जान सके एवं पुलिस के साथ मिलकर पीडित बालिकाओं को परामर्श एवं पुनर्वास के लिए बेहतर सेवाएं देने के लिए उत्प्रेरित हो सके

श्री रमाकान्त सतपथी, सहायक प्रबन्धक सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने जेण्डर अवधारणा पर अपनी बात रखी। उन्होने भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों में कानून समानता का अधिकार, जाति, लिंग आधारित भेदभाव की मनाही एवं अवसरों में बराबरी के अधिकार पर विस्तृत चर्चा की। जेण्डर संवेदनशीलता की आवश्यकता पर कहा कि इससे लिंग सम्बन्धी भेदभाव को मिटाकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सम्मान और सकारात्मकता को बढावा मिलता है। उन्होने महिलाओं की उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें जेण्डर सम्बन्धी के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक भेद प्राय: नजर आते है। इस जेण्डर समानता आधरित कार्यप्रणाली में महिलाओं एवं पुरूषों को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध हो।

सुश्री जसविन्दर कौर, सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूप कन्या भ्रूण हत्या, पोषण में भेदभाव एवं बाल विवाह के बारे में जानकारी दी। उन्होने महिलाओ के लिए पारम्परिक रूढिगत धारणाओ को एवं घरेलू हिंसा सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होने महिलाओं के प्रति रूढिगत धारणाओं को बढावा देने में व्यक्तियों का नजरिया, पाबन्दियां, रीति रिवाज, भाषा एवं मीडिया की भूमिकाएं बतायी। बालिका शिक्षा बढ़ावा इसे कम किये जाने की बात कहीं।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने सत्र को सम्बोधित कर सुरक्षा के संदर्भो में महिलाओं के लिए भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित प्रावधानो एवं लैंगिक अपराधो से बालकों की सुरक्षा कानून पर जानकारी दी। साथ ही उन्होने कानूनी प्रावधानो के अनुसार बाल कल्याण समिति से सहयोग लेने एवं उन्हें प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की प्रति तुरन्त उपलब्ध करवाने के लिए कहा। उन्होने महिलाओ एवं पुरूषों को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होने पुलिस में भी कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अधिक अवसर देने एवं क्षमताओं को बढाने की जरूरत बतायी। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने पीसीपीएनडीटी एक्ट में गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर सम्बोधित किया। उन्होने भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को चिन्ता का विषय बताते हुए अधिनियम में पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर जानकारियां प्रदान की।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री भुवन भूषण, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि पीडित बालिकाओं एवं महिलाओं को विश्वास एवं सुरक्षा का वातावरण देकर उसे बोलने का अवसर दे, उसको आप धैर्य से सुने, उसके बारे में कोई पूर्व धारणाऐं नहीं रखे तथा गरिमा पूर्ण तरीके से बात कर विधिक कार्यवाहियां करें। उन्होने इस बात पर बल दिया कि जेण्डर समानता संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय पर आधारित है, जिसमें महिलाओं एवं पुरूषो को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध है।

कार्यक्रम के अन्त: में श्री यदुराज शर्मा, परामर्शद्, आर.पी.ए. जयपुर ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सहभागी पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण में 50 पुलिस अधिकारियो सहित बाल कल्याण समिति के सदस्य सम्मिलित हुए।